न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

प्रा.पत्र संख्या	रजि० नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 39 / 2025	2025 / 293	04.06.2025	16.01.2026

–उनवान–

1. सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्, अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स ग्रीन फील्ड इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., ए–319ए, एम.आई.ए. अलवर प्रतिनिधि जितेन्द्र तोमर पुत्र श्री पदमसिंह 1 / 543 काला कुआं, अलवर राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः–
01.श्री रेखा योगी, कृषि अधिकारी –विभागीय प्रतिनिधि
02.श्री मुनीराम यादव –वकील अप्रार्थी

–:निर्णय:–

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित जब्त यूरिया उर्वरक मात्रा 100X50 kg को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.05.2025 को कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3670–72 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा एम.आई.ए. अलवर में फर्म / कम्पनी मैसर्स ग्रीन फिल्ड इन्ड्रिस्ट्रीज प्रा०. लि०. ए–319. (ए) एम.आई.ए. अलवर का शिकायत के आधार पर निरीक्षण कर कम्पनी में सन्देहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा 'उक्त औधोगिक प्रयोग यूरिया जिसको मैसर्स ग्रीन फिल्ड '' इंडस्ट्रीज प्रा०.लि० फर्म HICS Tradex LLP, 105/A, 1st Floor, 21 Century Plaza, DDA Community Center, Sector-8, Rohini, Delhi के बिल ईनवाईस क्रमांक HTL / 25–26 / 038 दिनांक 21.04.2025 से खरीदा गया (प्रति संलग्न) जो कि मानक स्टेंन्डर्ड जिसमे उत्पादन एवं विपणनकर्ता को कोई विवरण अकंन नही होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को सन्देहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना कोड AOpp/F / 2025–26 / 001 है। जिसका नमूना राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला को भिजवाया जा रहा है।

टीम के सदस्य श्री संदीप कुमार शर्मा उप परियोजना निदेशक (आत्मा) अलवर एवं श्री जितेन्द्र फौजदार कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर द्वारा दिनांक 26.05.2025 को लगभग दोपहर 04.00 बजे मौके पर जाकर उक्त सन्देहजनक नीम कोटेड यूरिया की जब्ती मात्रा (100X50 kg) हेतु टीम के सदस्यों के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई। फर्म के प्रतिनिधि से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के ही परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। फर्म के प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र तोमर पुत्र श्री पदम सिहं जाति जाट, उम्र–60 पता–काला कुआ अलवर, (राजस्थान) को सुपुर्दगी देकर रसीद प्राप्त की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (डी) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1965 के क्लोज 19, 21 एवं 25 के तहत उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनांक 26.05.2025 को जब्ती की गई। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत जब्त उर्वरक को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि टीम के सदस्य श्रीमति रेखा योगी, कृषि अधिकारी (पौ० स०) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर, श्री संदीप कुमार शर्मा उप परियोजना निदेशक (आत्मा) अलवर एवं श्री जितेन्द्र फौजदार कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद 26–05–2025 को लगभग दोपहर 04.00 बजे मौके पर नीम कोटेड यूरिया 100 कटटे प्रत्येक कटटा 50 किलो ग्राम जब्त कर मौका पर्चा रिर्पोट तैयार की गई। तथा फर्म के प्रतिनिधी से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के ही परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। फर्म के प्रतिनिधी जितेन्द्र तोमर पुत्र श्री पदम सिंह जाति जाट उम्र 60 पता काला कुआ अलवर राजस्थान को सुपुर्दगी पर देकर रसीद प्राप्त की गई। जब्तशुदा यूरिया की टैक्निकल ग्रेड यूरिया सस्पेक्टेड नीम कोटेड यूरिया का नमूना दिनांक 26–05–2025 नमूना कोड संख्या ए ओ पी पी/एफ/2025–26/0001 स्टेट फर्टीलाईजन टैस्टिंग लैब ननताफोरम कोटा की विश्लेषण रिर्पोट क्रमांक 766–68 दिनांक 16–06–2025 द्वारा मानक पाया गया, जिसमें नीम ऑयल कन्टेन्ट की मात्रा शून्य पायी गई हैं। यूरिया की परीक्षण रिर्पोट संलग्न हैं।

उक्त जब्तशुदा यूरिया की परीक्षण रिर्पोट आ चुकी हैं। जिस परीक्षण रिर्पोट से साबित हैं, कि उक्त जब्तशुदा यूरिया " नीम ऑयल कन्टेन्ट" नही पाया गया हैं। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया जाता हैं, कि मिन अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जावें। तथा कार्यवाही नोटिस समाप्त की जावें। तथा उक्त जब्तशुदा यूरिया कटटो के उपयोग उपभोग करने की आज्ञा हेतु कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजस्थान को उचित आदेश/निर्देश पारित किए जावें। महति कृपा होगी।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

प्रार्थी के अनुसार, कृषि आयुक्तालय राजस्थान के निर्देशानुसार एवं प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 26.05.2025 को मैसर्स ग्रीन फील्ड इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., एम.आई.ए. अलवर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल को मौके पर 100 कट्टे यूरिया मिला। इन कट्टों पर उत्पादन एवं विपणनकर्ता का विवरण अंकित नहीं था, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ कि यह अनुदानित "नीम कोटेड यूरिया" (जो केवल कृषि उपयोग हेतु है) का औद्योगिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण है। इस संदेह के आधार पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 19, 21 एवं 25 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उक्त स्टॉक को जब्त कर लिया गया और माल को अप्रार्थी के प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र तोमर को सुपुर्दगी पर दिया गया।

अप्रार्थी ने जवाब पेश करते हुए कथन किया कि उनके परिसर से लिया गया नमूना राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला, नंताफार्म, कोटा भेजा गया था। प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट (क्रमांक 766–68 दिनांक 16.06.2025) में उक्त नमूना "मानक" पाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रिपोर्ट में "नीम ऑयल कन्टेन्ट" (Neem Oil Content) की मात्रा शून्य पाई गई है। अप्रार्थी का तर्क है कि कृषि उपयोग वाला यूरिया अनिवार्य रूप से 'नीम कोटेड' होता है। चूँकि इसमें नीम ऑयल नहीं है, अतः यह 'टेक्निकल ग्रेड यूरिया' है जिसका औद्योगिक उपयोग प्रतिबंधित नहीं है। अतः जब्तशुदा माल को मुक्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला, कोटा की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 766–68 दिनांक 16.06.2025 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत यूरिया के नमूने में Neem Oil Content की मात्रा (शून्य) 0.00|) पाई गई है। प्रयोगशाला रिपोर्ट यह सिद्ध करती है कि जब्त किया गया यूरिया "नीम कोटेड कृषि यूरिया" नहीं है। नीम ऑयल की अनुपस्थिति इस तथ्य की पुष्टि करती है कि यह औद्योगिक उपयोग हेतु टेक्निकल ग्रेड यूरिया ही है। विभाग द्वारा जब्ती की कार्यवाही मात्र "संदेह" के आधार पर की गई थी कि यह नीम कोटेड यूरिया हो सकता है। चूँकि प्रयोगशाला वैज्ञानिक परीक्षण में यह संदेह निर्मूल/शून्य साबित हुआ है और नमूना मानक स्तर का पाया गया है, अतः अप्रार्थी के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के उल्लंघन का मामला सिद्ध नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जब्तशुदा यूरिया कृषि उपयोग वाला नीम कोटेड यूरिया नहीं है। अतः इसे राजसात किए जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 6--ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। मैसर्स ग्रीन फील्ड इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. से दिनांक 26.05.2025 को जब्त किया गया 100 बैग (50 किग्रा प्रति बैग) यूरिया उर्वरक को अवमुक्त (Release) किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), अलवर (राज0) को यह निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा 100 बैग (50 किग्रा प्रति बैग) यूरिया उर्वरक सुपुर्दगीगार से नियमानुसार प्राप्त कर अप्रार्थी मैसर्स ग्रीन फील्ड इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., ए–319ए, एम.आई.ए. अलवर राज0 जरिये जितेन्द्र तोमर पुत्र श्री पदमसिंह काला कुआं, अलवर को सुपुर्द करावें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), अलवर (राज0) को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)